



(प्रारूप—"अ")
समक्षः प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

हम राजेश कुमार तिवारी पुत्र शिव शंकर तिवारी अध्यक्ष एवं विनोद तिवारी पुत्र शिव शंकर तिवारी क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव रामेश्वर प्रसाद सत्यनारायण शिक्षा एवं कृषि जनकल्यण समिति, पलिया माफी, शाहगंज, अयोध्या शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं—

धारा—१ यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा रामेश्वर प्रसाद सत्यनारायण महाविद्यालय, पलिया माफी, शाहगंज, अयोध्या नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

धारा—२ यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम पलिया माफी, शाहगंज, अयोध्या में भूमि स्थित है गाटा संख्या 161 कुल रकमा 1.00 हेठो भूमि है।

धारा—३ यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

धारा—४ यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 161 कुल रकमा 1.00 हेठो भूमि है। पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 18.05.2022 द्वारा पारित किया गया है।

धारा—५ यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

धारा—६ यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(1)

Deponent S/o
Identified by S/o
S/WORN AND VERIFIED BEFORE ME
Signature: Anup Singh Acharya
Date: 19/05/2022

Rajesh Kumar Tiwari / Vinod Tiwari
Signature: Anup Singh Acharya
Date: 19/05/2022

धारा-7 यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही लिप्लोगा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

धारा-8 यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

धारा-9 यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, सठप्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

धारा-10 यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक खलास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानवों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

धारा-11 यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती लोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर्मसिक्षा जायेगा।

धारा-12 यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय नियमिक्षण में गानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद द्वारा नियमिक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा-13 हम घोषणा करता/करती हैं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना भेजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विलङ्घ परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगें।

४० अध्यक्ष ५३१९५८
५१०८। ५३।१५८

४० सचिव
५३।१५८

Sri Rayesh Kr Tiwari / Vinod Tiwari
Deponent Sei.
Identified by Sri
SWORD AND VERB REF ID: 219123
NOTARIAL
5/9/23